Total Pages - 48

Time : 3 Hours	Maximum Marks: 100
समय तीन घंटे	
	पुत्राकि : 100

महत्त्वपूर्ण सिर्देश । derborian instructions

- अधिक विवस्य क्षण प्रत्म गण तह इसर पुलिका के कृष्ण विच्याच प्रस्क पर ही किएँ। अन्य क्षिणे प्रश्नम पर मक्षे
- এ যাদ বৰ বহু দেশৰ চূলিকা নাক কাৰ্য ক' চুখা বহিছে। ক' সাকৰে জাই দৰ দি কাৰ্য সহকল জিলা কথা দান বৃদ্ধৰ দান কৰা দালটুক নামৰ তেনীকান নামৰ তেখা যে কান সংখ্যা কিবলৈ দা কেন ক' চুলাৰ বা সাকলিক কাৰ্য হ'ব যে যে কিবলৈ যে এইকাক কিবল কৰা কা অনুষ্ঠিন সাহকো কা সংখ্যা মান লোকাৰ বাব লোক কান ক' সেমাৰ্থী ক' বন্ধুৰ্য কৰিবলৈ কৰা ক'বছি ক'বছি ক'বল।
- হ' যতি জাই সন্মাৰ্থ দিয়ে কাছ কা কেছেল্য দুক্তন কৰে। ই কাৰ্যক কাৰ্যক কাৰ্যক ক্ষেত্ৰ কৰে। ই কাৰ্যক কৰ্মক কাৰ্যক কাৰ্যক কাৰ্যক কাৰ্যক কাৰ্যক কৰে। ই কাৰ্যক কাৰ্য
- पत्त प्राप्त प्राप्त के हा सार्य न विभावित के प्रत्येक स्था में के किए प्राप्त प्राप्त की पहला एक इसके एक द्वार साथ में प्रतिक किए गए के
- 5 भाग प्रेस 20 बल्कुनिक्ट प्रमाहे तथा प्रत्यक्ष के बाग तस्तर विक्रमण दिए गए हा अम्बर्धी विक्रमण के लामन यम बाल्यामा माने नहीं तुम्बर के लामन वन बाल्यामा माने विक्रमण प्राप्त का माने विक्रमण प्रमाही का किस्तु भाग नामन प्राप्त का मिन्द्र का किसी प्रमाव प्राप्त का माने का प्रकार का प्रकार विक्रमण विक
- है। सीर व में दियं पर पत्नी के उत्तर पत्न एवं पत्न उत्तर पुलिका में पत्रक पत्न के मैक दियं गए प्यान पर ही सिदा कही आगं नहीं अत्यक्षा पत्र उत्तर को मुख्यकम प्रवेशक हारा मही किया जायाग
- प्रस्तिभी अपने उत्तर निर्दिति जगह प प्राधित में सुने निष्का कियों में स्पेक्षिति में पुरस्क उत्तर पुलिका मही हो आधारी
- तक किया अथवा अवले किया गया में केलिय केला में नहीं प्रस्त का प्रस्त के महिम्म के काहान में को भाषा के विकास का विकास का
 विकास कर .
- किसी प्रतास प्राप्ति व दिल्ली भागल्या माकाई अलगा हा वा अवारी भागल्या का बसाविक सामा आप
- 10 पति प्राप्त रण पह एकर पुणिका करों व बाटी कही या अमुदिन है ना अदिनार शिक्षक के द्याप में साक्ष्य एक बहुनाहा न अस्पर्या प्राप्तका वार्षिक अस्पर्यों का कृष्ण
- ा प्रोड़ा बड़ म बिपरे मी प्रहार के इस्पर्देशिक प्रवार के लाभ प्रवार कामा पर्वधा वर्षित्र ह
- Write the regard particular, only on the flap provided on the top of "Question Paper cum-Answer Book" and not at any other place.
- 2 Do not write any mark of identity maids the "Question Papers on Answer Book" including paper for rough work out, stoll No., Name. Address. Motive No., Felephore No., Name of God etc. or any irrelevant word other than the answer of question. Such act will be treated as order means, to such a case the condidatore of the landing technique shad be rejected for the entire examination.
- 3 if a candidate in found creating disturbance at the examination centre or misbehazing with invigilating Staff or cheating will render him bable for disqualification. He shall also be hable for penal action under the Registrian Public Examination (Prevention of Endor Means) Act, 1992.
- The question paper is divided into two parts. A and 8. The number of question; to be attempted and their marks are indicated in that part.
- 6 There are fiventy (20 objective type questions or Part in infiltre "Quescon Caper-sum-Zaswer book" each riay ig four (4) alternative option. Candidate shoold clearly and rate the correct answer of objective type question by making again of correct if in the box of right answer option amongst the boxes provided for injurish early option and not elsewhere. Only one answer is to be indicated for each question. Marking of more than one answer would be treated as wrong answer.
- The answers of the questions in the Bart 181 should strictly be written in the space provided ocrow question and not elsewhere, otherwise, such answer shall not be assessed by the examiner.
- Candidates du not wide the answers beyond the space provided. No supplementary Answer Book shall be provided to any case.
- Alternal answers either in middlior in English met in both. Specify in option by ticking that Ringuiste in box of medicals
 of answer on the Bap.
- 9. In any question, if there is any discrepancy in English & Hindi versions, the English version is to be treated as standard.
- to in case the "Question Paper-cuiteArriver Book" is torn or not printed properly, bring it to the notice of invigibles for change, at eachest otherwise the candidates will be liable for than
- *1 Possession of any electronic device e-strictly prohibited in the Examination Half.

Part-A / भाग--अ Objective / वस्तुनिष्ठ

Marks / अंक - 20

Note:-Attempt all the 20 Questions. Each question carries 1 mark. नोट:-समस्त 20 प्रश्नों का उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्घारित है।

Question	10.1	
Which any education	n Article of the Constitution of India prohibits providing of religious in anal institution wholly maintained out of the State Funds?	nstructions in
(1) (2) (3) (4)	Article 25 Article 27 Article 24 Article 28	
प्रश्न संख्या 1		
राज्य अनुच्छेद निषेध	निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना भारत के संविध करता है [?]	धान का कौनसा
(1) (2) (3) (4)	अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 28	
inoperative 1	o.2 he laws which are inconsistent with the fundamental rights, the from the date of commencement of the Constitution, are not dead alto dowed by the fundamental rights and remain dormant. This is known	ogether. They
(1) (2) (3) (4)	Doctrine of Pleasure. Doctrine of Pith and substance. Doctrine of Eclipse. Doctrine of Severability.	
प्रश्न संख्या 2	2	
हो जाती हैं वि	नमस्त विधियां, जो मूलभूत अधिकारों से असंगत हैं, संविधान के लागू होने की दिन इन्तु मृत नहीं होती हैं। वे केवल मूलभूत अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती हैं औ सिद्धान्त कहलाता है :	तांक से प्रभावहीन र सुशुप्तावस्था में ——
(1) (2) (3) (4) HS-18-LP-1	प्रसाद का सिद्धान्त। सार एवं तत्व का सिद्धान्त। ग्रहण का सिद्धान्त। पृथक्करणीयता का सिद्धान्त।	
U2-10-FL-1	[6]	

Question No.3 Under Section 47 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, for enforcement of Foreign Awards, "Court" means: The principal Civil Court. (1) (2) Supreme Court of India. (3)High Court. (4) None of the above. प्रश्न संख्या 3 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम्, 1996 की धारा 47 के अन्तर्गत विदेशी पंचाट् के प्रवर्तन के लिए, 'न्यायालय' से अभिप्रेत हैं : (1) प्रधान सिविल न्यायालय। (2) भारत का सर्वोच्च न्यायालय। (3) उच्च न्यायालय। (4) उपरोक्त में से कोई नहीं। Question No. 4 A decree passed in a summary suit under Order XXXVII CPC can be set aside by the court: (1) For any sufficient cause. (2) Under special circumstances. (3)Under any circumstance. (4) None of the above. प्रश्न संख्या ४ आदेश 37 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत एक संक्षिप्त दावे में पारित डिक्री को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है : किसी पर्याप्त हेत्क के लिए। (1) विशेष परिस्थितियों में। (2) किसी भी परिस्थिति में। (3)

Question No. 5

(4)

Under Section 171 of the Motor Vehicles Act, 1988, a Claims Tribunal may direct payment of simple interest in addition to the amount of compensation from:

HS-18-LP-1 [7]

उपरोक्त में से कोई नहीं।

	(1) (2) (3) (4)	The date of accident. Not earlier than the date of making the claim. Not earlier than the date of award. None of the above.	
प्रश्न सं	ख्या 5		क्रे भविगिक्त
		गन अधिनियम, 1988 की धारा 171 के अन्तर्गत दावा अधिकरण प्रतिकर की रकम	क आसारपरा
साधारण		संदाय करने का निर्देश दे सकेगा	
	(1)	दुर्घटना की दिनाक से।	
	(2)	उस दिनांक से जो दावा करने की दिनांक से पहले की न होगी।	
	(3)	उस दिनांक से जो पंचाट की दिनांक से पहले की न होगी।	\vdash
	(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं।	
Quest	ion No	o. 6	
surviv	Where	e two persons have died in circumstances rendering it uncertain other, what presumption can be drawn under Section 21 of the Hindu S	as to who Succession
Act, 19			
	(1)	Younger survived the elder.	
	(2)	Elder survived the younger.	
	(3)	No specific presumption.	
	(4)	Both of them died simultaneously.	
प्रश्न र	संख्या 6		
	जहां द	ो व्यक्तियों की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हो जिसमें यह अनिश्चित हो कि उनमें से व	हौन दूसरे का
उत्तरर्ज	ीवी रहा	, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 21 के अन्तर्गत क्या उपधारणा की जा	येगी :
	(1)	कनिष्ठ ज्येष्ठ का उत्तरजीवी रहा।	
	(2)	ज्येष्ठ कनिष्ठ का उत्तरजीवी रहा।	
	(3)	कोई भी विनिर्दिष्ट उपधारणा नहीं।	
	(4)	दोनों की मृत्यु एक साथ हुई।	
Ques	tion N	0.7	
	Unde	r the provisions of Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, a H	lindu is not
bound		aintain:	
	(1)	His minor illegitimate child.	
	(2)	His major legitimate child.	
	(3)	His aged or infirm parents, who are unable to maintain themselves.	
	(4)	None of the above.	
HS-18-U	P·1	[8]	

प्रश्न संख्य	1 7	
हिन लिए आबद्ध	दू दत्तक और भरण—पोषण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक हिन्दू भरण—पे नहीं है :	ोषण करने के
(1)		
(2)	•	\vdash
(3)		\vdash
(4)		
Question	No. 8	
Un	der Registration Act, 1908, a document other than a Will can be ac	cepted for
	n if the same is presented for that purpose:	
(1)		
(2)		
(3)	After six months from the date of its execution.	
(4)	After one year from the date of its execution.	
प्रश्न संख्य	T 8	
	ास्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत वसीयत से भिन्न कोई भी दस्तावेज रजिस्ट्रीव केया जा सकता है यदि वह उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया जाये	ज्र ण के लिए
(1)	निष्पादन के बाद किसी भी समय।	
(2)		\vdash
(3)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
(4)		
Question	No. 9	
WE	nere a person fraudulently representing that he is authorised to trans	for cortain
immovabl	nere a person fraudulently representing that he is authorised to trans e property, professes to transfer such property for consideration and su interest in the said property, such transfer:	
(1)	Shall be void.	
(2)		
(3)		
(4)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
प्रश्न संख्य	T 9	
जह	i कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक यह व्यपदेश करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को उ	अन्तरित करने
के लिए प्रा	धिकृत है, ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अन्तरित करने की प्रत्यंजना करता है एवं तत हेत अर्जित करता है, ऐसा हस्तानान्तरण :	
41 minus	न्त आजत करता है, एसा हस्तानान्तरण :	

[9]

HS-18-LP-1

(1) (2) (3) (4)	शून्य होगा। प्रवृत्त होगा। उक्त का कोई प्रभाव नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं।	
Question N	o. 10	
	re an instrument has been admitted in evidence, such admission can the ground that the instrument has not been duly stamped:	be called in
(1) (2) (3) (4)	At any stage of the suit. Shall not be called in question at any stage of the suit. At the time of final hearing of the suit. None of the above	
	10 कोई लिखत साक्ष्य में ग्रहित की गई है, ऐसा ग्रहण, इस आधार पर कि लिखत की गई है, को प्रश्नगत किया जा सकता है :	सम्यक रूप से
(1) (2) (3) (4)	बाद के किसी भी प्रक्रम पर। उस बाद के किसी भी प्रक्रम में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। बाद की अन्तिम सुनवाई के समय। उपरोक्त में से कोई नहीं।	
Question N	lo. 11	
appeal is re	er Rajasthan Court Fees and Suits Valuation Act, 1961, where a mene ejected on the ground that it was not presented within the time allowe , how much of the fee shall be refunded?	
(1) (2) (3) (4)	Full fee. One-fourth of the fee. One-half of the fee. No refund	
प्रश्न संख्या इस उपस	11 - राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहां उ आधार पर नामंजूर किया जाता है कि उसे परिसीमा विधि के द्वारा अनुज्ञात । थापित नहीं किया गया था, कितनी फीस का प्रतिदाय किया जायेगा ?	
(1) (2) (3) (4)	सम्पूर्ण फीस। एक—चौथाई फीस। आधी फीस। कोई प्रतिदाय नहीं।	
HS-18-LP-1	[10]	

Caste 1955?	or Sci	ummary ejectment of trespassers of the land held by a member of a S heduled Tribe is dealt with under which provision of Rajasthan Ten	
	(1)	Section 183-A	
	(2)	Section 183-B	
	(3)	Section 188	닏
	(4)	Section 207	
प्रश्न स	ख्या १२	2	
	राजस्था	न काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किस प्रावधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति अथव	॥ अनसचित
जनजाति	ने के सद	रस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों की संक्षिप्त बेदखली की कार्यवाही की जाती है ?	3.%
	(1)	धारा 183—क	
	(2)	धारा 183—ख	片
	(3)	धारा 188	
	(4)	धारा 207	
Quest	ion No	o. 13	
the Art		mitation of three months prescribed for making an application under Sec n and Conciliation Act, 1996 for setting aside an arbitral award is:	ction 34 of
	(1)	Absolute and not extendable.	
	(2)	Can be extended invoking the provisions of Section 5 of Limitation Act, 1963.	
	(3)	Can be extended for a period not beyond 30 days if the court is	
		satisfied that applicant was prevented by sufficient causes from	
		making the application within limitation.	
	. (4)	Can be extended by the court under its inherent powers.	
प्रश्न स	ख्या १३	3	
प्रस्तुत व		म् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 में मध्यस्थम् पंचाट को अपास्त करने के 1 दु विहित तीन माह की मियाद :	लिए आवेदन
	(1)	अपरिवर्तनशील एवं अविस्तारणीय है।	
	(2)	मियाद अधिनियम 1963 की धारा 5 के अन्तर्गत विस्तारणीय है।	
	(3)	न्यायालय के यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक पर्याप्त कारणों से विहित अविध मे	
	(0)	आवेदन प्रस्तुत करने से निवारित रहा है 30 दिन तक की अवधि बढ़ा सकता है।	
HS-18-LP	-1	[11]	

Question No. 12

(4)	न्यायालय	द्वारा	अपनी	अन्तर्निहित	शक्तियों	के	अन्तर्गत	बढ़ाई	ঝা	सकती	흄	١
-----	----------	--------	------	-------------	----------	----	----------	-------	----	------	---	---

Question No.14

Under Section 3 of Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, a Muslim woman is entitled to:

- (a) An amount equal to the sum of mahr or dower agreed to be paid to her at the time of her marriage or at any time thereafter according to Muslim law.
- (b) All the properties given to her before or at the time of marriage or after her marriage by her relatives or friends or husband or any relative of husband or his friends.
- (c) A reasonable and fair provision and maintenance to be made and paid to her within the iddat period by her former husband.

Which of the above is/are correct:							
(1)	(a) only.						
(2)	(b) only.						
(3)	(a) & (b).						
(4)	(a), (b) & (c)						

प्रश्न संख्या 14

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अन्तर्गत, एक मुस्लिम स्त्री, हकदार है:

- (अ) विवाह के समय अथवा उसके बाद अन्य किसी समय मुस्लिम विधि के अनुसार उसको दिये जाने के लिए करारसुदा मेहर अथवा स्त्रीधन के समतुल्य राशि।
- (ब) वे समस्त सम्पित्तियां जो विवाह से पूर्व अथवा विवाह के समय अथवा विवाह के पश्चात उसे अपने नातेदारों अथवा मित्रों अथवा अपने पित अथवा पित के किसी नातेदार अथवा मित्रों द्वारा दी गई हैं।
- (स) इददत की अविध में अपने पूर्व—पित से युक्तियुक्त एवं उचित व्यवस्था तथा भरण—पोषण की और उसे प्राप्त करने की।

उपरोक्त में से सही है :

(1)	केवल (अ)	
(2)	केवल (a)	$\overline{\Box}$
(3)	(अ) एवं (ब)	
(4)	(अ), (ब) एवं (स)	

HS-18-LP-1 (12)

Question No.15

Where	there	is a	conti	ract	for t	he :	sale	of	spe	cific	or	ascert	ained	goods,	as	per	the
provisions of	Sale o	of Go	ods	Act,	1930	0, th	ne pr	ope	erty	in t	hem	shall	stand	transfe	errec	to to	the
buyer:																	

(1)	Immediately on the date the contract is entered into between the parties.	
(2)	On the day the goods are dispatched by the seller to the buyer.	
(3)	At such time as the parties to the contract intend it to be transferred.	
(4)	None of above.	
प्रश्न संख्या	15	
	विक्रय अधिनियम, 1930 के अनुसार जहां कि संविदा विनिर्दिष्ट या अभिनिश्चित माल उस माल में संपत्ति क्रेता को अन्तरित होगी :	के विक्रय के
(1)	पक्षकारों के मध्य संविदा होने की दिनांक से।	
(2)	विक्रेता द्वारा क्रेता को माल भेजने की दिनांक से।	
(3)	उस समय जब उसका अन्तरित किया जाना संविद। के पक्षकारों द्वारा आशयित हो।	
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं।	
Question (No.16	
	original documents which are not produced at or before the settlementer XIII Rule 1 CPC:	nt of issues
(1)	Can be produced for the cross examination of the witnesses of the other party.	
(2)	Can be produced for the cross examination of the party to the suit.	
(3)	Can be received in evidence without the leave of the Court.	
(4)	None of the Above.	
प्रश्न संख्या	16	
	श 13 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जो मूल दस्तावेज विवाद्यकों के कि पूर्व पेश नहीं किये गये हैं :	स्थिरीकरण व
(1) (2)	दूसरे पक्षकार के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश किये जा सकते हैं। दावे के पक्षकार के प्रतिपरीक्षण के लिए पेश किये जा सकते हैं।	
(3)	न्यायालय की अनुमति के बिना साक्ष्य में स्वीकार किये जा सकते हैं।	
(4)	उपरोक्त में से कोई नहीं।	
HS-18-1P-1	(13)	

Question No.17								
Which one of th between the Union and	_	relates	to	interpretation	of	legislative	conflicts	

0011	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		_
	(1) (2) (3) (4)	Causus omissus. Pith and substance. Stare decisis. Noscittur a soiciis.	
प्रश्न	संख्या 1	7	
निम्न	में से कौ	नसा सिद्धान्त संघ एवं राज्यों की विधायी टकराव की व्याख्या से सम्बन्धित है :	
	(1) (2) (3) (4)	केसस ओमिसस। सार और मर्म। पूर्व दृष्टान्त। साहचर्येण ज्ञायते।	
Que	stion No	o.18	
		specific performance of the contract, which of the following reliefs can be grawithout the plaintiff claiming the same in the plaint:	anted
	(1) (2) (3) (4)	Compensation for breach of Contract. Partition and separate possession of the property in addition to specific performance of the Contract. The execution of proper conveyance or lease by the vendor or lessor. Refund of earnest money.	
प्रश्न	संख्या १		_
मांग		के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में न्यायालय द्वारा निम्न में से कौनसा अनुतोष वादी द्वारा वाद दिया जा सकता है :	(पत्र में
	(1)	संविदा भंग किए जाने के लिए प्रतिकर।]
	(2)	संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के अतिरिक्त संपत्ति का विभाजन एवं पृथक कब्जा।]
	(3)	विक्रेता या पटटाकर्ता द्वारा उचित हस्तान्तरण पत्र या पटटे का निष्पादन।	٦

HS-18-LP-1

(4)

अग्रिम धन का प्रतिदाय।

HS-18-LP-1

(1)

(2)

(3)

(4)

जिला न्यायाधीश।

सिविल न्यायाधीश।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश।

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश।

Part-B/ भाग-ब

Subjective/Narrative

विषयनिष्ठ / वर्णात्मक

Note:-Attempt all 6 Questions. Question No. 21 and 22 carry 20 marks each. Question No. 23 to 26 carry 10 marks each.

नोट:—समस्त 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रश्न संख्या 21 एवम् 22 प्रत्येक के 20 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न

संख्या 23 से 26 प्रत्येक के 10 अंक निर्घारित हैं।

Question No.21. Write short notes on :(20 Marks)

(Answer any five out of eight. Each carries 4 marks.)

पश्न संख्या 21. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :

(आठ में से किन्हीं पांच का उत्तर दीजिये। प्रत्येक के 4 अंक निर्धारित है।)

- (i) 'Revision of rent in respect of existing tenancies' under the Rajasthan Rent Control Act, 2001 (4 Marks)
 राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत 'विद्यमान किरायेदारियों के सम्बन्ध में किराये का पुनरीक्षण'।
- (ii) 'Condition restraining alienation' under Transfer of Property Act, 1882. (4 Marks) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत 'अन्य-संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त'।
- (iii) Inchoate stamped instruments. (4 Marks) स्टाम्पित अधूरी लिखत।
- (iv) 'Property rights of a child in womb' under Hindu Succession Act, 1956. (4 Marks) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 'गर्भ स्थित अपत्य का अधिकार'।
- (v) 'Opening of a new way through another khatedar's holding' under Rajasthan Tenancy Act, 1955. (4 Marks)
 - राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 'किसी अन्य खातेदार की जोत में से नया मार्ग खोलना'।
- (vi) 'Domestic relationship' under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत 'पारिवारिक सम्बन्ध' ।(4 Marks)

HS-18-LP-1

[16]

(vii) Reliefs which may be granted by the Court under the provisions of Patents Act, 1970 in suits for infringement of patent.(4 Marks)

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत पेटेन्ट के उल्लंघन के वाद में न्यायालय द्वारा दिये जा सकने वाले अनुतोष।

(viii) 'Liability of a firm for wrongful acts of the partner' under the Partnership Act, 1932

(4 Marks)

भागीदारी अधिनियम, 1932 के अन्तर्गत 'भागीदार के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व'।

Question No.22. Explain the difference between :(20 Marks)

(Each carries 5 marks)

प्रश्न संख्या 22. निम्न के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिए :

(प्रत्येक के 5 अंक निर्धारित हैं)

(i) Transfer of tenancy and Devolution of tenancy under the Rajasthan Tenancy Act,1955 (5 Marks)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत आसामी अधिकारों का अन्तरण एवं आसामी अधिकारों का अवतरण।

(ii) Full blood, Half blood and Uterine blood.

(5 Marks)

पूर्णरक्त, अर्धरक्त और एकोदररक्त।

(iii) Vested interest and Contingent interest.

(5 Marks)

निहित हित एवं समाश्रित हित।

(iv) Doctrine of Ejusdem Generis and Doctrine of Noscitur a sociis.

(5 Marks)

सजाति का सिद्धान्त एवं साहचर्येण ज्ञायते का सिद्धान्त।

Question No.23

(10 Marks)

(I)What is meant by Discharge of Contract? Deliberate on methods of discharge and circumstances when a contract is deemed to be discharged. Explain the 'Doctrine of Frustration of contract' in light of statutory provisions and case law.

OR

(II)Indicate the circumstances which a person is bound to disclose in writing when approached in connection with his possible appointment as an Arbitrator. As per prescription

HS-18-LP-1

of Section 12 (5) read with Seventh Schedule of Arbitration and Conciliation Act, 1996, when a person becomes ineligible to act as an Arbitrator?

प्रश्न संख्या 23

(I)संविदा का उन्मोचन से क्या तात्पर्य है ? उन्मोचन के तरीकों एवं परिस्थितियां जब संविदा स्वतः उन्मोचित समझी जायेगी, की विवेचना करें। 'अनुबन्ध की हताशा का सिद्धान्त' को विधिक प्रावधानों एवं निर्णय विधि द्वारा स्पष्ट करें।

अथवा

(II) उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए, जिन्हें वह व्यक्ति जिसे मध्यस्थ के रूप में उसकी सम्भावित नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव किया जाता है, उन्हें वह लिखित रूप से प्रकट करेगा। माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) सपठित सप्तम् अनुसूची के प्रावधानानुसार कोई व्यक्ति कब एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपात्र हो जाएगा ?

Question No.24 (10 Marks)

(I)'The right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty enshrined in Article 21 and as part of freedom guaranteed under part III of the Constitution of India'. Elucidate the statement with reference to decision of the Supreme Court in 'Justice K.S.Puttaswamy (Retd.) vs. Union of India &Ors.':(2017) 10 SCC 1.

OR

(II) Discrimination on the ground of sexual orientation or gender identity impairs equality before law and equal protection of laws and thus, violates Article 14 of the Constitution of India. Discuss the statement with reference to the decision of Supreme Court in National Legal Services Authority vs. Union of India: (2014) 5 SCC 438.

प्रश्न संख्या 24

(I)'निजता का अधिकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में समाविष्ट प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार एवं भाग 3 के अन्तर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के स्वाभाविक अंग के रूप में संरक्षित है'। उक्त कथन की 'जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ एवं अन्य' :(2017) 10 SCC 1 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए।

अथवा

(II) यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समान संरक्षण को क्षीण करता है एवं इस प्रकार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है'। उक्त कथन की 'नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथरिटी बनाम भारत संघ': (2014) 5 SCC 438 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कीजिए।

Question No.25 (10 Marks)

(I)Discuss the parameters and procedure as prescribed under Order XLVII CPC, by which a person aggrieved may seek Review of the judgment. What is the difference between

HS-18-LP-1 [18]

https://www.pyqonline.com

Appeal and Review? Whether Appeal and Review can be filed in the same matter? If yes, under what circumstances?

OR

(II)What are the essentials for proving the execution of a document required by law to be attested? Discuss with reference to provisions of Sections 68 to 71 of the Evidence Act, 1872 and the case law in this regard.

प्रश्न संख्या 25

(I) उन मापदण्डों एवं आदेश 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का वर्णन करें, जिनमें एक व्यथित व्यक्ति न्यायालय के निर्णय का पुनरावलोकन करवा सकता है । अपील एवं पुनरावलोकन के बीच क्या अन्तर है ? क्या एक ही मामले में अपील एवं पुनरावलोकन पेश किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ?

अथवा

(II) ऐसे दस्तावेज जिनके निष्पादन का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, को साबित करने के लिये मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराओं 68 से 71 के प्रावधानों एवं निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचना करें।

Question No.26 (10 Marks)

Frame the issues on the basis of the pleadings of the parties noticed below and write the judgment.

Mr. Ram, owner of a house situated within Gram Panchayat Makarwali, District Ajmer, Rajasthan, let out a portion of his house to Mr. Shyam on a monthly rent of Rs.2,000/- on 1.1.2001. On 17.12.2011, Mr. Ram filed a suit for possession against Mr. Shyam before the civil court, after terminating the tenancy by way of a valid notice under Section 106 of the Transfer of Property Act, 1882.

Mr. Shyam filed his written statement raising preliminary objection regarding jurisdiction of civil court in view of provisions of Rajasthan Rent Control Act, 2001. It was contended that as he has entered into an agreement on 12.03.2009 with Mr. Ram for purchase of the suit house and paid a huge sum, the relationship of landlord/tenant between them has ceased to exist. He claimed to be in possession of the suit house as a purchaser in part performance of the agreement dated 12.03.2009. https://www.pygonline.com

Mr. Ram filed replication contending that the suit was maintainable before the civil court and Mr. Shyam has been paying the rent till July, 2011. He further contended that the agreement dated 12.03.2009 is inadmissible in evidence as the same is unregistered and unstamped.

प्रश्न संख्या 26

पक्षकारों के अधोवर्णित अभिवचनों के आधार पर विवाद्यकों की रचना करें एवं निर्णय लिखें।

दिनांक 01.01.2001 को ग्राम पंचायत माकरवाली, जिला अजमेर, राजस्थान में स्थित एक मकान के मालिक श्री राम ने उक्त मकान के एक हिस्से को श्री श्याम को 2000 रूपये मासिक किराये पर दिया। दिनांक 17.12.2011 को श्री राम ने श्री श्याम के विरुद्ध सिविल न्यायालय में संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 की धारा 106 के अन्तर्गत एक वैध नोटिस द्वारा किरायेदारी समाप्त कर कब्जे का वाद दायर किया।

HS-18-LP-1 [19]

श्री श्याम ने जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सिविल न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आपित्त उठाई। यह तर्क दिया गया कि चूंकि दिनांक 12.03.2009 को उसने श्री राम के साथ विवादित मकान खरीदने का करार किया है एवं एक बड़ी राशि का भुगतान किया है, उनके बीच मकान मालिक एवं किरायेदार का सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। उसने यह भी दावा किया कि विवादित मकान पर उसका कब्जा खरीददार के तौर पर करार दिनांक 12.03.2009 की आंशिक पालना में है।

श्री राम ने जवाबउल-जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवाद किया कि वाद सिविल न्यायालय के समक्ष पोषणीय है एवं श्री श्याम द्वारा जुलाई, 2011 तक किराये का भुगतान किया गया है। उसके द्वारा यह भी प्रतिवाद किया गया कि चूंकि करार दिनांक 12.03.2009 अपंजीकृत एवं अस्टाम्पित है, साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है।

HS-18-LP-1